

FP/UP/Approach/142965/2021

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17) टिप्पणियों के साथ पश्चात को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग को विस्तृत

राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाये।

दिनांक :- 24/9/21
स्थान :-की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है।
24/9/21

हस्ताक्षर :-

नाम व पदनाम : Anupam Gupta
Conservator of Forest/Nodal Officer
सरकारी मोहर:- Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow